UPMO010071632026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार-**IV),**

(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06124

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2200/2026

रफी उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्र शराफत, निवासी झूरक झुण्डी, थाना टाण्डा, जिला रामपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या-349/2026,
धारा-303(2),317(2)
बी0 एन 0 एस 0,
थाना-कटघर, जिला-मुरादाबाद।

22.07.2026

1- आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र इन आधारों प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक को उपरोक्त मुकदमें रंजिशन झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है, उसका नाम उक्त मामले में सह-अभियुक्त शाहरूख के बयान के आधार पर आया है। पुलिस द्वारा उसकी पत्नी को कमरे से उठाकर चौकी में बन्द करने के बाद आवेदक को सासनी के आलू मील से उठाकर उसका चालान कर दिया। उसकी पत्नी को चार दिन तक चौकी में रखा और पचास हजार रूपये लेकर उसकी पत्नी को छोड़ा, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देने एवं मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने उसका चालान कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस द्वारा कथित बरामदगी फर्जी व झूठी दिखाई गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से जिला कारागार,

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.22 17:50:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुरादाबाद में निरुद्ध है। वह किसी भी मुकदमें में दोषसिद्ध अपराधी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

2- जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की पत्नी/पैरोकार फरजाना द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा नईम द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 24.06.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, वह अपनी भैंस की डेयरी ग्राम गोट में पिछले 08 माह से चला रहा है। दिनांक 16.06.202ृ6 की रात्रि को समय करीब 01:00 बजे उसकी डेयरी से अज्ञात चोर दो भैंस चोरी करके ले गये। उन्होंने सोचा कि डेयरी की चाहर-दीवारी न होने के कारण भैंस खुलकर कहीं गांव व जंगल चली गयी है, जिनको अब तक वे तलाश करते रहे, लेकिन भैसों का अभी तक पता नहीं चला। चोरी की घटना से करीब 15 दिन पहले शाहरुख पुत्र फारुख, अपने एक दोस्त के साथ एक मोटरसाइकिल से डेयरी पर आया था और काफी समय से डेयरी के आस-पास घूम रहा था और उससे भी बातचीत की थी कि उनकी डेयरी में कौन कौन रहता है और डेयरी के अंदर जाकर सारी भैंसो को भी देख कर गया था और कह रहा था कि भैंस बहुत अच्छी-अच्छी हैं। उसे शक है कि शाहरुख ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भैंस चोरी की है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्त शाहरूख व उसके दोस्तों के विरुद्ध उक्त मुकदमा धारा-303(2) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उसके पास से 14,550/- रूपयों की बरामदगी हुई, जिसके आधार पर मामले में धारा-317(2) भारतीय न्याय संहिता

की वृद्धि की गयी।

4- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की डेयरी ग्राम गोट से दो भैंस चोरी की गयी है तथा दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त के पास से चोरी की भैंस बिक्री से सम्बंधित 14,550/-रू0 भी बरामद हुए हैं। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5- मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को विनम्रतापूर्वक सुना तथा पत्रावली का तत्समय सम्यक अवलोकन किया।

6- प्रस्तुत प्रकरण, आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की डेयरी ग्राम गोट से दो भैंस चोरी करने तथा दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त के पास से चोरी की भैंस बिक्री से सम्बंधित 14,550/- रुपये बरामद होने से सम्बंधित है। बचाव पक्ष के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, उसका नाम सह-अभियुक्त शाहरूख के बयानों के आधार पर प्रकाश में आया है, जिसकी जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। कथित बरामदगी झूंठी व फर्जी है, बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मामला सात वर्ष व उससे कम के दण्ड से दण्डनीय अपराध है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जहां तक, अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का छः अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे आवेदक/अभियुक्त की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो।

8- अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर

बिना राय व्यक्त किये हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रफी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)- आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)- आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन-जी-2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत आवेदक/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(अनिल कुमार-IV)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01,
मुरादाबाद।
J.O. Code-UP6124